

जस्टिस संजीव खन्ना सीजेआई बने, 11 नवंबर को शपथ

सूपी-राजस्थान, उत्तराखंड में अवैध संपत्ति गिराने का मामला

6 महीने रहेगा कार्यकाल, अनुच्छेद 370 हटाने को सही बताया था

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- राज्यों के खिलाफ लगी याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करेंगे

■ संजीवनी टुडे

नई दिल्ली। जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के 51वें चीफ जस्टिस होंगे। वे 11 नवंबर को पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। यह जानकारी गुरुवार को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सरकार से जस्टिस खन्ना के नाम की सिफारिश की थी। सीजेआई चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो जाएंगे। परंपरा है कि मौजूदा सीजेआई अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश तभी करते हैं, जब उन्हें कानून मंत्रालय से ऐसा करने का आग्रह किया जाता है। सीजेआई चंद्रचूड़ के बाद वरिष्ठता सूची में जस्टिस संजीव खन्ना का नाम है। इसलिए जस्टिस खन्ना का नाम आगे बढ़ाया था। हालांकि, उनका कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का होगा। 64 साल के जस्टिस खन्ना 13 मई 2025 को रिटायर होंगे। सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर जस्टिस खन्ना ने 65 फेसले लिखे हैं। इस दौरान वे करीब 275 बेंचों का हिस्सा रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में 14 साल तक जज रहे जस्टिस संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को हुआ था। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैम्पस लॉ सेंटर से कानून की पढ़ाई की। ग्रेजुएशन के बाद, उन्होंने 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में एक वकील के रूप में रजिस्ट्रेशन कराया। सुप्रीम कोर्ट जज बनाए जाने से पहले वे दिल्ली हाईकोर्ट में 14 साल तक जज रहे।



विवाद 32 जजों की अनदेखी करने पर जमकर विवाद हुआ

2019 में सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया था। सुप्रीम कोर्ट जज बनने पर भी हुआ था विवाद 32 जजों की अनदेखी करके जस्टिस खन्ना को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने पर जमकर विवाद हुआ था। 10 जनवरी 2019 को कॉलेजियम ने उनकी जगह जस्टिस माहेश्वरी और वरिष्ठता में 33वें स्थान पर जस्टिस खन्ना को प्रमोट करने का फैसला किया। इसके बाद सिफारिश पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दस्तखत कर दिए थे। वरीयता को अनदेखा करते हुए सीजेआई बनाने के दो मामले, दोनों इंदिरा सरकार के अप्रैल 1973 में सुप्रीम कोर्ट के तीन सीनियर जजों को दरकिनार करते हुए एएन रे को एक्जक्यूटिव किया गया था। 1977 में जब जस्टिस रे रिटायर हुए तो जस्टिस एचआर खन्ना सबसे सीनियर थे। लेकिन, उनकी जगह जस्टिस एमएच वेग को चुना गया। इमरजेंसी के दौरान जस्टिस खन्ना ने इंदिरा सरकार के खिलाफ फैसले सुनाए थे, जस्टिस संजीव खन्ना उन्हीं के भतीजे हैं।

सीजेआई बोले- वायु प्रदूषण के चलते मॉर्निंग वॉक बंद की

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते उन्होंने मॉर्निंग वॉक पर जाना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनके डॉक्टर ने उन्हें सुबह की सैर पर जाने को मना किया है क्योंकि खराब हवा के चलते सांस संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। सीजेआई ने यह बात सुप्रीम कोर्ट में आयोजित प्री-डिवाली सेलिब्रेशन में जर्नलिस्ट्स से बातचीत के दौरान कही। जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। इस आयोजन में सीजेआई ने ये भी ऐलान किया कि अब से सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही को कवर करने के लिए पत्रकारों के लिए कानून की डिग्री होना अनिवार्य नहीं होगा। इस बीच सैदी का मौसम शुरू होते ही दिल्ली की एयर क्वालिटी पहले से ही 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच चुकी है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के मुताबिक गुरुवार सुबह दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 385 रिकॉर्ड किया गया। वहीं, यमुना नदी में जहरीला झाग नजर आने लगा है। जस्टिस संजीव खन्ना के पिता जस्टिस देवराज खन्ना भी दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे। उनके चाचा जस्टिस हंसराज खन्ना भी सुप्रीम कोर्ट जज रहे। यह दुर्लभ संयोग था कि जस्टिस संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर अपना पहला दिन उसी कोर्ट रूम से शुरू किया, जहां से उनके चाचा, दिवंगत जस्टिस एचआर. खन्ना रिटायर हुए थे।

■ संजीवनी टुडे

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अवैध संपत्तियों को गिराने के खिलाफ लगी याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया। मामले की सुनवाई जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस पी के मिश्रा और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने की। बेंच ने कहा- हम उन याचिकाकर्ता की याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन मामले से नहीं जुड़े हैं। इन याचिकाओं को सुनने लगे तो मामले काफी बढ़ जाएंगे। दरअसल, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि हरिद्वार, जयपुर और कानपुर में अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं माना, जिसमें कहा गया था कि कोर्ट की अनुमति के बिना संपत्ति नहीं गिराई जाएगी। याचिकाकर्ताओं के वकील: सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि कोर्ट की अनुमति के बिना कोई भी संपत्ति नहीं गिराई जाएगी। इनमें से एक मामले में एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद संपत्ति को गिरा दिया गया। सूपी सरकार के वकील: याचिकाकर्ता ने कुछ मीडिया रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट का रुख किया। क्योंकि ये सिर्फ फुटपाथ पर अतिक्रमण था जिसे अधिकारियों ने हटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- तोड़फोड़ की तो पीड़ित



की प्रॉपर्टी का री-कंस्ट्रक्शन होगा सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर को बुलडोजर एक्शन के मामले में सुनवाई की थी। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि फैसला आने तक देशभर में बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी रहेगी। केंद्र बोला- हाथ न बांधें, कोर्ट ने कहा- आसमान नहीं फट पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को कहा था 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। अगली सुनवाई तक देश में एक भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। जब केंद्र ने इस ऑर्डर पर सवाल उठाया कि संवैधानिक संस्थाओं के हाथ इस तरह नहीं बांधे जा सकते हैं। तब जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन ने कहा- अगर कार्रवाई दो हफ्ते रोक दी तो आसमान नहीं फट पड़ेगा।

31 अक्टूबर 2024 तक लागू रेट

Sanjeevni
Building Your Dreams... Group
An ISO 9001 : 2008 Certified Company

संजीवनी ग्रुप लेकर आये है

आवासीय योजना महल रोड़ से कनेक्टेड 200 फीट रोड़ पर और
स्टेट हाईवे नं.-2, मेन चाकसू रेल्वे स्टेशन रोड़, चाकसू में

नगर पालिका अप्रूव्ड

प्लॉट एवं मिनी फार्म हाउस

Sanjeevni

महा बचत

31 अक्टूबर, 2024 तक

APPROVED

Sanjeevni
Royals

बैंक लोन

रेट बढ़ने से पहले आज ही बुक करें!

Call 9314188188

TOWNSHIP • FARM HOUSE • COMMERCIAL

प्लॉट ₹8000/- प्रति वर्गगज नकद में

प्लॉट ₹16000/- प्रति वर्गगज नकद में 200 फीट रोड़ पर

दुकान ₹3 लाख नकद में

प्लॉट ₹9000/- प्रति वर्गगज नकद में

प्लॉट ₹18000/- प्रति वर्गगज नकद में 200 फीट रोड़ पर

दुकान ₹4 लाख नकद में

